



Neutral Citation No-2026:AHC:5239

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 5277 वर्ष 2025

जयराम @ जयराम याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अखिलेश कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य-प्रतिपक्षियों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थायी अधिवक्ता और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:

"I. परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करना, आदेश या निर्देश प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3 को प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा पारित दिनांक 24.11.1992 के आदेश का अनुपालन करने के लिए निर्देश देना और सीएच फॉर्म-11 के साथ-साथ सीएच फॉर्म-23 तैयार करने के लिए निर्देश देना, उसके बाद तदनुसार सी.ए. फॉर्म-41 के साथ-साथ सीएच फॉर्म-45 को सही करना, नाम उत्परिवर्तित किया जाएगा।

II. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जो प्रतिपक्षी संख्या-2 को उत्तर प्रदेश संरक्षण अधिनियम, 1953 की धारा 10 के तहत फील्ड बुक और अधिकार के अभिलेखों तैयार करने का निर्देश देता है।



2. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत समेकन अधिनियम की धारा 11(1) के तहत अपील 05.04.2023 से लंबित है, इस तथ्य के बावजूद कि अपील में प्रतिपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुका है और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।
3. स्थायी अधिवक्ता को उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है।
4. इस विवेचन में, जैसा कि उपर्युक्त है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, इस निर्देश के साथ कि निपटान अधिकारी चकबंदी (अतिरिक्त), जिला आजमगढ़ (प्रतिपक्षी संख्या-2), जिसके समक्ष उपरोक्त मामला विचाराधीन है, कानून के अनुसार, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से विचार करेगा और निर्णय लेगा।
5. यह अपेक्षा की जाती है कि किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।
- 6 . उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 8, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)